न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा सं0–1139/36–1–13–11(सा0)/05 दिनांक 30–08–2013 तथा सपठित शुद्दि पत्र विषयक अधिसूचना संख्या–1535/36–11(सा0)/05, दिनांक 21–11–2013 द्वारा बीड़ी उद्योग के नियोजन में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ता का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की दरें जो मासिक की आधार पर निर्धारित की गयी है, उनकी दैनिक दर मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के योग 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर, दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में बीड़ी उद्योग के नियोजन में (मात्रानुपाती श्रमिकों को छोडकर) नियोजित कर्मचारियों को ग्रामीण श्रमिकों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (1986–87=100) के जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 676 अंक के ऊपर जुलाई 2024 से दिसम्बर 2024 तक के औसत अंक 1319 अंको पर दिनांक 1–04–2025 से दिनांक 30–9–2025 की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता के दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय होगा।

दृष्टान्त–रूपये 4550.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत मूल्य सूचकांक 1319 पर दिनांक 1.04.2025 से दिनांक 30.9.2025 तक देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगा:–

$$\frac{(1319-676)}{676} \times 4550 = 4327.88$$ प्रतिमाह

कमॉक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में	दिनांक 1.10.2024से दिनांक 31.3. 2025 तक	प्रतिमाह परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रूपये में	दिनांक 1–04–2025 से दिनांक 30–9–2025 तक	
				दिनांक1–04–2025 30–9–2025 तक	प्रतिमाह कुल मजदूरी दरें,(रूपये में) (3+5)	दैनिकमजदूरी दरें,(रूपये में) (1/26)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	4550.00	8588	4327.88	8877.88	341.45
2	अर्द्ध–कुशल	5200.00	9815	4946.15	10146.15	390.23
3	कुशल–क	6200.00	11703	5897.33	12097.33	465.28

अधिसूचना संख्या–1130/छत्तीस–1–13–11(सा0)/05 दिनांक 30 अगस्त 2013 के बिन्दु– 2(ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार मात्रानुपाती कार्यो के लिये नियत मजदूरी की दरें प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से एक वर्ष के पश्चात बढ जायेगीं। अधिसूचना में दी गयी व्यवस्था के अनुसार मात्रानुपाती दरें दिनांक 30 अगस्त 2024 से 29 अगस्त 2025 तक निम्न प्रकार है:–

कमॉक	कर्मकार की श्रेणी	दिनांक 30 अगस्त 2024 से 29 अगस्त 2025 तक देय मात्रानुपाती दरें।	
1	बीड़ी रोलिंग के कार्य में	171 रूपये प्रति हजार	
2	चिट लगाने का कार्य में	17 प्रति हजार बीड़ी	
3	एक लाख बीड़ी/एक हजार बीड़ी का बण्डल बनाने(लपेटने, लेबल चिपकाने, पैकेट(मोड़ा आदि बनाने के लिये	एक लाख बीड़ी के बण्डल बनाने हेतु	एक हजार बीड़ी का बण्डल बनाने हेतु
	जब एक बण्डल में 25 बीड़ी हों	रूपया 395	रूपया 3.95
	जब एक बण्डल में 24 बीड़ी हों	रूपया 404	रूपया 4.04
	जब एक बण्डल में 20बीड़ी हों	रूपया 455	रूपया 4.55
	जब एक बण्डल में 12बीड़ी हों	रूपया 522	रूपया 5.22
	जब एक बण्डल में 10 बीड़ी हों	रूपया 609	रूपया 6.09
	जब एक बण्डल में 8 बीड़ी हों	रूपया 735	रूपया 7.35
	जब एक बण्डल में 7 बीड़ी हों	रूपया 822	रूपया 8.22

(मार्कण्डेय शाही)
श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।

संख्या 2189-96 प्रवर्तन–(एम0डब्लू0)/15 दिनांक 30/03/2025

प्रतिलिपि

1 समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें तथा श्रमिकों, सेवायोजको व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मॉगे जाने पर उपलब्ध कराएं।

2 अनुसचिव,उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग–3, बापू भवन, लखनऊ।

3 सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय(वेज सेल)भारत सरकार नई दिल्ली ई–मेलwagecell@nic.in के माध्यम से

4 अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु, लखनऊ।

5 उप श्रम आयुक्त(आई0आर0),मुख्यालय, कानपुर।

6 उप श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर),मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ईमेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।

7 श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।

8 समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

Signed by
Markandeya Sahi
(मार्कण्डेय शाही)
Date: 30-03-2025 15:48:26
श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश

Scanned with OKEN Scanner